पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 317 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–7 दिनांक : 21 -03-2009

कार्यालय ज्ञापन

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या 632 / I / 2009–05–90 / टीसी / 2008, ऊर्जा अनुभाग–1, दिनांक 02–03–2009 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0 270 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–7 दिनांक 02.03.2009 के तारतम्य में शासनादेश संख्या 430 / I / (2)2009–05–90 / टीसी / 2008, ऊर्जा अनुभाग–1, दिनांक 19–03–2009 के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 को कारपोरेशन के पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत कार्मिकों तथा उसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक कार्यवाही संलग्न उपरोक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2009 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

कार्मिकों को मंहगाई भत्ता शासनादेश संख्या 396/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 के अनुसार अनुमन्य होगा। शेष अन्य अनुमन्य भत्ते यथा आवास किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, स्वेच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि इत्यादि संलग्न शासनादेश संख्या क्रमशः 38/XXVII(7)/म0कि0/2009 दिनांक 13.02.2009, संख्या 39/XXVII(7)/प0वि0भ0/2009 दिनांक 13.02.2009 एवं 40/XXVII(7)/स्वे0परि0क0/2009 दिनांक 13.02.2009 के अनुसार दिनांक 01.04.2009 से अनुमन्य होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त जो भत्ते, शासन द्वारा जब तक पुनरीक्षित नहीं किये जाते तब तक पूर्व की भांति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होंगे।

पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के ऐसे कार्मिक, जिन्हें राज्य सरकार की भांति सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जा रहा है उनको दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त उक्त कार्मिकों के देयों का भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 419/XXVII(7)/पेंशन/2008, संख्या 421/XXVII(7)/पेंशन/2008 दिनांक 27.10.2008 तथा संख्या 420/XXVII(7)/मं0रा0/2008 दिनांक 27.10.2008 के अनुरूप किया जायेगा।

सलंग्नः शासनादेश संख्या 430 दिनांक 19.03.09 तथा
भत्तों एवं पेंशन के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश

20/03/09
निदेशक (मा0सं0)

क्रमशः 2...

पत्रांकः 317 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई-7 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के सन्दर्भ में।
2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
3- निदेशक(वित्त), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
4- अधिशासी निदेशक (परियोजना), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
5- मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
6- समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
7- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
8- कम्पनी सचिव, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
9- कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7-बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून-248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249
C:\Documents and Settings\Sanjay Garg\My Documents\Computer - 1\E-7.doc

संख्या : 430 /I/(2)2009-05-90/TC/2008

प्रेषक :

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ
उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

GM-HR
- put up DM.

ऊर्जा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक, 19 मार्च, 2009

20/03/09

विषय : छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–632/I/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 02–03–09 द्वारा छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे।

उक्त आदेश के बिन्दु सं0–9 के कम में वेतन का निर्धारण, विकल्प तथा प्रकिया विषयक बिन्दुओं का शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी 2006 को कारपोरेशन/निगम की पूर्णकालिक सेवा में था, का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु

कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहाँ कारपोरेशन के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2006 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति के कारण उच्चतर वेतनमान

में रखा गया है वहाँ ऐसी पदोन्नति प्राप्त करने की तिथि से संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण–1

वर्तमान वेतनमान चुनने के विकल्प की अनुमति केवल एक वर्तमान वेतनमान के मामले में होगी।

स्पष्टीकरण–2

उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह कारपोरेशन की सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित हो कर आया हो, उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण–3

जहां कहीं कोई कार्मिक मूल नियम–22 या किसी अन्य नियम या पद के लिये लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किए जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण–4

ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी 2006, को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

2. विकल्प का चयन :–

(1) उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों को विकल्प का चयन लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप पर *(संलग्नक–1)* देना होगा यह विकल्प सम्बन्धित कार्मिकों के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने वाले